न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

(नरेश बुनकर आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :– 01/2021
जीसीएमएस न0:– 2021/6
दायर दिनांक :– 01/01/2021
निर्णय दिनांक :– 18/09/2023

अनवान

1. श्री गणेशलाल पिता हिरा जाति गुर्जर आयु व्यस्क निवासी डुमखेडा, तहसील कुंवारिया

———अपीलांट

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुंवारिया जिला राजसमन्द

————रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार कुंवारिया प्रकरण संख्या 01 सन् 2020, निर्णय दिनांक 27.10.2020

उपस्थित :–

1– श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री अनिल कुमार बागोरा, राजकीय अधिवक्ता

–: निर्णय :–

निर्णय दिनांक 18.09.2023

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलांट द्वारा **अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द के यहॉ पर वसीयत के आधार पर नामान्तरण खोलने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया , अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.10.2020 को उक्त प्रकरण में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर इस आधार पर खारीज किया कि अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है, इसलिये पत्रावली खारिज की गई है, से व्यथित होकर उक्त अपील पेश की है।**

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी, अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया है कि अपीलांट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश न्याय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में अपीलार्थी ने अपने पक्ष में निष्पादित वसीयत दिनांक 08.04.2017 को साक्ष्य से पूर्ण रूप से प्रमाणित कराई हैं वसीयत अधीनस्थ न्यायालय में प्रमाणित होने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने केवल वसीयत अन्रजिस्टर्ड होने से नामान्तरकरण स्वीकृत नही करने का आदेश पारित करने मे त्रुटि कारित की है, अपीलार्थी के पक्ष में डालु पिता लालु गुर्जर ने वसीयत नामा निष्पादित कर नोटेरी से प्रमाणित कराया है, तथा दिनांक 16.04.2017 को डालू की मृत्यु के बाद वसीयत से उक्त सम्पत्ति अपीलार्थी को प्राप्त हुई है, वसीयत के संबंध में वसीयत के गवाह घासी पिता किशना गुर्जर एवं दल्ला पिता लालु गुर्जर के साक्ष्य के शपथ पत्र पेश कर उन्हें साक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर उक्त वसीयत को प्रमाणित कराया है, लेकिन इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने मनन विचार किये बगैर ही आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है, वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत न कर उक्त प्रकरण को इस आधार पर कि विरासत का नामान्तरण संख्या 747 दिनांक 21.12.2018 को स्वीकृत किया, उसके आधार पर प्रकरण खारिज करने में त्रुटि कारित की है, क्योकि जब अपीलार्थी ने वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत करने बाबत् प्रार्थना पत्र दिनांक 24.

09.2018 को प्रस्तुत कर दिया था तो उसके पश्चात् पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी को सुने बगैर अपने मनमकसूद तरीके से अपीलार्थी की बेजानकारी में नामान्तरण स्वीकृत करवाया है, वसीयत के आधार पर जब नामान्तरण खोलने की प्रक्रिया विचाराधीन थी तो ऐसी स्थिति में वसीयत के आधार पर प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र को निस्तारित किये बगैर विरासत का नामान्तरण कानूनन स्वीकृत नहीं किया जा सकता है और यदि ऐसा कारित किया है तो वह आदेश ही प्रारम्भ से अवैद्य शुन्य है, अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.10.2020 को अपास्त फरमाया जावें, एवं वसीयत के आधार पर डालु पिता लालु गुर्जर के नाम दर्ज भूमियों का नामान्तरकरण अपीलार्थी के नाम पर खोले जाने का आदेश फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता की ओर से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी सारी कार्यवाही विधिसम्मत है,अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियानुसार पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किया, उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत होने के उपरान्त अपीलान्ट द्वारा वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खोलने हेतु आवेदन दिनांक 11.02.2020 को प्रस्तुत किया, चुंकि प्रकरण में पूर्व में ही दिनांक 21.12.2018 नामान्तरकरण स्वीकृत किया जा चुका है, अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रकरण में बहस , विधिक नजीरों, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध, रिकार्ड, साक्ष्य एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया, दस्तावेजों एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर प्रथमदृष्टया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत् प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की गई है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नही है, अतः उक्त अपील सारहीन होने से अपील अपीलाण्ट खारीज की जाती है।

(नरेश बुनकर)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द
18/09/2023

निर्णय आज दिनांक 18.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया जो शामिल पत्रावली रहे, संबंधित को नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित हों। पत्रा0 फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर रहें।

(नरेश बुनकर)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द
18/09/2023